रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112023-250178
CG-DL-E-21112023-250178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4781] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2023/कार्तिक 29, 1945
No. 4781] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2023/KARTIKA 29, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2023

सं. 44 / 2023

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत एचएस कोड 71081200 के तहत सोने के आयात की नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 4990(अ).—समय–समय पर यथा संशोधन विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 71 के आईटीसी (एचएस) कोड 71081200 हेतु आयात नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन करती

आईटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	**नीति**	**मौजूदा नीतिगत** शर्त	**संशोधित नीतिगत** शर्त
71081200 .. अन्य	प्रतिबंधित	आरबीआई (बैंकों के मामले में) डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के	1. आयात की अनुमति निम्नलिखित के माध्यम से है:

अनगढ़ स्वरुप		लिए) और आईएफएससीए (इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के द्वारा अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित केवल नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमति है। सोने के डोरा का एयू शर्त के साथ आयात लाइसेंस के तहत रिफाइनरियों द्वारा आयात किया जा सकता है।	(i) आरबीआई (बैंकों के मामले में) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियां या डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियां। (ii) इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम से अर्हताप्राप्त ज्वेलर्स (आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित) 2. आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित वैध भारत–यूएई टीआरक्यू धारक टीआरक्यू के तहत आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने का आयात कर सकते हैं और आईएफएससीए द्वारा निर्धारित दिषानिर्देशों के अनुसार एसईजेड में स्थित आईएफएससीए पंजीकृत वाल्ट्स के माध्यम से इसकी वास्तविक डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। 3. सोने का डोरा वास्तविक उपयोगकर्ता (एयू) शर्त के साथ आयात लाइसेंस के तहत रिफाइनरियों द्वारा आयात किया जा सकता है।

अधिसूचना का प्रभावः आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित वैध भारत–यूएई टीआरक्यू धारक टीआरक्यू के तहत आईआईबीएक्स द्वारा सोने का आयात कर सकते हैं और आईएफएससीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एसईजेड में स्थित आईएफएससीए पंजीकृत वॉल्ट्स के माध्यम से इसकी वास्तविक डिलिवरी प्राप्त कर सकते हैं।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/01/एएम–22/पीसी–2(ख)/ई–31419]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE**)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2023

No. 44/2023

Subject: Amendment in import policy condition of Gold under HS Code 71081200 under Chapter 71 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

S.O. 4990(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development &Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy condition for ITC (HS) code 71081200 of Chapter 71 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), with immediate effect, as under:

ITC(HS) Code & Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
71081200 -- Other unwrought forms	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks), DGFT (for other agencies) and IFSCA (for qualified jewellers through India International Bullion Exchange) Gold Dore can be imported by refineries against an import license with AU condition.	1. Import is allowed through: (i) Nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) or nominated agencies notified DGFT (for other agencies) (ii) Qualified Jeweller (as notified by IFSCA) through India International Bullion Exchange (IIBX) ; 2. Valid India-UAE TRQ holders as notified by IFSCA can import gold through IIBX against the TRQ and can obtain physical delivery of the same through IFSCA registered vaults located in SEZs as per the guidelines prescribed by the IFSCA. 3. Gold Dore can be imported by refineries against an import licence with Actual User (AU) condition.

Effect of the Notification: Valid India-UAE TRQ holders as notified by IFSCA can import gold through IIBX against the TRQ and can obtain physical delivery of the same through IFSCA registered vaults located in SEZs as per the guidelines prescribed by the IFSCA.

This issue with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/01/AM-22/PC-2[B]/E-31419]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade And Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA